न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास श्री संजय कुमार माथुर आर. ए. एस.)

प्रकरण संख्या 142/2015 प्रार्थनापत्र एलआर

अनवान

1. लादु पिता भैरू भील निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2 नन्दु पुत्री भैरू भील निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

.... प्रार्थीगण

बनाम

1– हुसैन पिता पीरू खां कायमखानी निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2– रोशन खां पिता अनवर खां कायमखानी निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3– लाभु पिता मांगु बलाई निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
4– कालु पिता हजारी बलाई निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
5– एस0बी0बी0जे0 शाखा बनेडा जरिये मेनेजर एस0बी0बी0जे0 शाखा बनेडा
6– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता प्रार्थी)

–:: आदेश ::–

दिनांक 12.03.2016

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि **प्रार्थी** ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि **वाके ग्राम लापिया पटवार मण्डल बबराणा भू अभिलेख निरीक्षक महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी खातेदारी की भूमि की खतौनी संख्या 299 आराजी संख्या 779, 798, 799, 800, 801 कुल किता 5 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा भूमि** दर्ज रिकॉर्ड है जिसके कोई पुख्ता सीमाचिह्न नहीं होने की वजह से विपक्षीगण पड़ौसियान से अकसर विवाद होता रहता है। **प्रार्थी** ने विपक्षीगण को अपनी आराजियात बाबत् पत्थरगढ़ी कराने के लिए कहा किन्तु उनके द्वारा इन्कार कर दिए जाने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः **प्रार्थी** की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये समन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश प्रसारित किए गए। इस प्रकार **प्रार्थी** के प्रार्थनापत्र पर विपक्षीगण की ओर से कोई आपत्ति एवं एतराज रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। **प्रार्थी** पक्ष को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं मनन किया गया। **प्रार्थी** उक्त आदेश की चरण सं. 1 में वर्णित

आराजियात का खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। अतः **प्रार्थी** का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य है।

.–:: आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर **वाके ग्राम लापिया पटवार मण्डल बबराणा भू अभिलेख निरीक्षक महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी खातेदारी की भूमि की खतौनी संख्या 299 आराजी संख्या 779, 798, 799, 800, 801 कुल किता 5 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा भूमि** की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक **रायला** को **800/–** रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.03.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं पालनार्थ
1. तहसीलदार बनेड़ा
2. भू अभिलेख निरीक्षक रायला

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)